



Neutral Citation Number-2026:AHC:32043

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट-सी संख्या-5691/2026

संगीता निषाद

.....याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता: अनुराग उपाध्याय

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्याय कक्ष संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति, प्रकाश पाडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है: -
 - (i) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करके प्रत्यर्थी संख्या-3 यानी उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील घोसी, जिला- मऊ को याचिकाकर्ता के दिनांक 09.01.2026 (इस रिट याचिका के अनुलग्नक -3) के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और तय करने का निर्देश दिया जाए, जो कि इस माननीय न्यायालय द्वारा तय की जा सकने वाली निर्धारित अवधि के भीतर हो;
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-3 / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील घोसी, जिला- मऊ के समक्ष पहले ही एक प्रतिनिधित्व किया जा चुका है, लेकिन आज तक मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या-3

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

6. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या- 3/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील-घोसी, जिला-मऊ इस मामले में शीघ्रता से—और यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर—निर्णय लेंगे।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

12 फरवरी, 2026

सकलैन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”